

इस तरह से आप लोग करेंगे कि जिस की जो मर्जी होगी बोलता जाएगा, कभी कोई पत्थर रख देगा और बोलना शुरू कर देगा तो कैसे काम चल सकेगा ?

13.39 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

TWENTY-NINTH REPORT

SHRI G. G. SWELL (Autonomous Districts): I beg to present the Twenty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): There is nobody from the Government side to satisfy us on this point? (Interruptions).

MR. SPEAKER: Shri Siddayya.

13.39½ hrs.

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

TWENTY-SECOND REPORT

SHRI S. M. SIDDAYYA (Chamara-janagar): I beg to present the Twenty-second Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Ministry of Home Affairs—Tribal Development Blocks in Madhya Pradesh. (Interruptions).

SHRI PILOO MODY (Godhra): It is a leaderless, rudderless party.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): What is your observation about this? This is what is supplied to the people of West Bengal in the name of wheat. I want to place it on the Table. I want to present it to the Food Minister.

MR. SPEAKER: You should complain to the proper quarters. You can give it to the Minister. Shri Phool Chand Varma.

13.40 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

ALLEGED ASSULT ON MEMBERT BY MADHYA PRADSEH POLICE

श्री फलचन्द्र वर्मा (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने 24 अप्रैल, 1973 को एक विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला सदन के सामने प्रस्तुत किया था। उस समय मैंने जो निवेदन किया था, उस को मैं उद्धृत करना चाहता हूँ :

“अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार के उल्लंघन की सूचना आप को दी है। मैं अपने साथियों सहित दिनांक 13-4-73 को शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए, जिलाबन्दी तोड़ने हेतु गोपालपुर-बोरदा बरियर-घर, जिला देवास, मध्य प्रदेश पर जा रहा था। वहाँ पर देवास के डी० एस० पी० ब्रजेन्द्र नाथ सिंह तोमर ने यह जानते हुए कि मैं संसद् सदस्य हूँ, मेरे साथ मार-पीट की, मेरे कपड़े फाड़ डाले और कहा कि तुम्हारे जैसे कई संसद्-सदस्यों को मैं ने ठीक कर दिया है। उन्होंने मुझे घसीटते हुए पुलिस की ट्रक पर पटक दिया। मेरा कुर्ता वगैरह जो फाड़ा गया है, वह मैं आप को दिखा रहा हूँ। यदि मैं अपने साथियों को नहीं रोकता, उन को शांत नहीं करता, तो वहाँ पर भयंकर दुर्घटना घटित हो जाती। उस के बाद मुझे थाने पर ले जाया गया और वहाँ पर एक कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने बार बार वहाँ पर सर्फिस इन्स्पेक्टर श्री कुरेशी से अनुरोध किया, डी० एस० पी० मि० सिंह से अनुरोध किया कि मुझे छोड़ें लगी है, मुझे मेडिकल एड चाहिए, मुझे चिकित्सालय पहुँचाइये, लेकिन उन्होंने मुझे चिकित्सालय नहीं पहुँचाया। इस के बाद

[श्री फूल चन्द वर्मा]

मूसै रात में एक बजे तक भोजन पानी से बचित रखा गया और भेरे साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया ।”

24 अप्रैल के तुरन्त बाद लोक सभा द्वारा मामले की समुचित जानकारी राज्य शासन से मागने के बावजूद शासन ने तीन सप्ताह तक लोक सभा को कोई उत्तर नहीं दिया है । इस सदन के प्रति नितान्त अवहेलना तथा अपमान का यह एक ज्वलत उदाहरण है । राज्य सरकार ने उत्तर देने में देरी क्यों की यह बताने के लिए मैं इन्दीर से प्रकाशित 3 मई, 1973 के दैनिक स्वदेश की एक कटिंग पढ़ना चाहता हूँ

“बिगत दिनों खिलाबन्दी तोड़ो सत्याग्रह के अन्तर्गत समूह सदस्य, श्री फूलचन्द वर्मा, के साथ पुलिस अधिकारी द्वारा किये गये दुर्व्यवहार की जाच शुरू हो गई है । पता चला है कि कल खिलाधीश महोदय जाच करने घटनास्थल पर गये थे । उन के मामले जो भी बयान हुए उन में पुलिस के दुर्व्यवहार को सही बताया गया । पुलिस के समर्थन में किसी ने भी बयान नहीं दिया ।

पता चला है कि इस में घबडा कर रात को ही जीप में पुलिस अधिकारी उक्त क्षेत्र में गये तथा वहाँ आतक पैदा कर कुछ लोगो को पुलिस के पक्ष में बयान देने हेतु रेत के ठेले में बिठा कर आज देवास ले गये । रात तक उक्त ग्रामीण वापस नहीं लौट पाए थे ।

स्मरणीय है कि ससद सदस्य श्री वर्मा के साथ दुर्व्यवहार की जाच समूह द्वारा कराई जा रही है । श्री वर्मा ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी ने उन के कपडे फाड़ डाले तथा उन के साथ मार पीट भी की व गाली-बर्बाद किया ।”

इस के बाद मैंने 16 मई, 1973 को एक दूसरे विशेषाधिकार के उल्लंघन की आप को सूचना दी थी, जो इस प्रकार है .

“24 अप्रैल के तुरन्त बाद, लोक सभा द्वारा मामले की समुचित जानकारी राज्य शासन से मागने के बावजूद, शासन ने 3 सप्ताह तक लोक सभा को कोई उत्तर नहीं दिया है । सदन के प्रति नितान्त अवहेलना तथा अपमान का यह एक प्रत्यक्ष मामला है ।

अब पुलिस अधिकारी सम्बन्धित गवाहो को डरा-धमका रहे हैं और शाने पर बुला कर उन्हें आतंकित कर रहे हैं । लोक सभा जिस मामले में सत्य व तथ्यो को जानने का प्रयास कर रहा है, उस अवधि में इस प्रकार गवाहो को आतंकित करना, सदन के कार्य में बाधा पहुंचाना है तथा गम्भीर अपराध है । इसकी पुष्टि समाचार पत्र में प्रकाशित जानकारी से भी हुई है, जिस की असल प्रति मैं कल आप को भेज चुका हूँ और सत्य प्रतिलिपि सलग्न है ।”

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सदन तथा उस के सदस्यो की गरिमा और सम्मान के संरक्षक है । मेरा विनम्र निवेदन है कि उक्त दो तथ्यो के बारे में उपयुक्त जाच तथा कार्यवाही के लिए आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने की कृपा करें । मेरा अनुरोध है कि यह सवाल अकेले मेरा नहीं है बल्कि यह पूरे सदन की मान, मर्यादा और गरिमा का सवाल है । अगर आज मेरे साथ यह दुर्घटना हो सकती है तो कल किसी और माननीय सदस्य के साथ भी हो सकती है । यह एक गम्भीर मामला है और इसलिए इसको विशेषाधिकार समिति को भेजना चाहिए । यह घटना 13 अप्रैल की है और आज 1 अगस्त है । तीन महीने के लगभग हो गये हैं लेकिन राज्य शासन का कोई जबाब नहीं दिया

जैसा कि मैंने निवेदन किया है, पुलिस द्वारा गवाहों को अज्ञात किया गया है। किन्तु गवाहों को डराना-धमकाया गया है वे मुझ से मिले थे। वे मेरी वास्टीयुएन्सी के हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि उन को रात भर थाने में बन्द रखा गया और मारा गया और पुलिस के पक्ष में बयान न देने पर गांव से निकालने की धमकी दी गई। चूँकि मैं शिडयूल्ड कास्टम, हरिजन जाति, का ससद सदस्य हूँ, इस लिए मेरे साथ यह दुर्व्यवहार किया गया। आज देश में हरिजनों की जा स्थिति है, वह आप से छिरी नहीं है। चूँकि मैं एक पिछड़े क्षेत्र से आता हूँ इसलिए पुलिस अधिकारियों ने मेरे और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्भावनापूर्ण दुर्व्यवहार किया है। अगर मैं उस समय अपने कायकर्ताओं को शान्त न करता तो ला एण्ड आर्डर की प्रोजेक्शन में टन करना कठिन हो जाता। मैं न खून का घट पी कर सब कुछ बदामित किया है और यह मामला आप के नाटिस में लाया है। इस का विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करना बहुत आवश्यक है। इससे सदन की गरिमा भी बहेगी और ससद सदस्या के अधिकारों की रक्षा भी होगी।

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI K C PANT) Sir according to the information furnished by the Government of Madhya Pradesh, Shri Phool Chand Verma was arrested on the 13th April, 1973 at village Borda Tehsil Khatigaon, Dist Dewas while he was allegedly violating the Madhya Pradesh Wheat (Restrictions on Transport by Railways, Road and Water) Order, 1973, read with Sections 3 and 7 of the Essential Commodities Act, 1955. The points raised in the House by Shri Verma on the 14th April, 1973 were immediately referred to the State Government who ordered an inquiry by the District Magistrate,

Dewas. On the basis of this inquiry, the District Magistrate came to the conclusion that the allegations of misbehaviour on the part of the Deputy S P and of the police officers in Police Station, Khatigaon, were not substantiated.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का यह उत्तर नितान्त असंतोषजनक है। उसने भी नहीं बताया है कि कौन से अफसर जांच करने के लिए गये थे, किन्तु गवाहों के बयान लिये गये, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस परिणाम पर कैसे पट्टे क्या उन्होंने श्री फलचन्द वामन बातवात की जो लोग उनके साथ गिरफ्तार किये गये थे क्या उन्होंने उन के साथ मुलाकात की। बड़ा गम्भीर आरोप लगाया गया है कि जिन लोगों ने बयान दिये थे उनका पुलिस थाने में ले जाया गया परेशान किया गया और पीटा गया। यह सदन राज्य सरकार की जांच पर विश्वास नहीं करता है।

श्री कृष्ण चंद्र पत : मैंने कहा है कि जिला मैजिस्ट्रेट न जांच की। वह बहा गये। जो लोग माननीय सदस्य के साथ पकड़े गये थे उनसे भी बात की। उसका हवाला उनको रिपोर्ट में है। अध्यक्ष महोदय हमने वह रिपोर्ट आप के पास भेज दी है, ताकि आप उसको देख लें। उन्होंने उन सब से बात की है और उनके नाम दिये हैं। जनसच के वर्कर्स के नाम दिये गये हैं। किम वक्त क्या हुआ यह सब कुछ बताया है। इसका आधार पर ही वह इस नतीजे पर पहुँचे।

SHRI P K DEO (Kalahandi) Sir, this is a very serious matter. It should have been inquired into by a judicial officer. Instead of a judicial officer, the District Magistrate who is the executive head of the State inquires into the matter. The main lacuna is that Mr Phool Chand Verma who is involved has not been consulted. A

(Shri P. K. Deo.)

serious matter like this cannot be discussed in a dispassionate manner in this House. So, it will be better to send it to the Privileges Committee which is a quasi-judicial body so that they can give their judgment and make a report to the House and, after getting the report, we can discuss it in the House.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore)
There is a clear contradiction between what the hon. Member has stated at length in the House and what is purported to be the report of the District Magistrate. Now, we are in a difficult position because none of us feels satisfied at all. Therefore, in such a case where an inquiry has been done by the District Magistrate and the hon. Member is making a statement here in great detail, a factual statement, which is completely contradictory to the District Magistrate's report, I feel strongly that the only way out that will satisfy us is that the matter must be referred to the Privileges Committee to go into this matter. Hi

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): My submission is that in such matters, the report of the State Government authorities should not be made available to the House at this stage because it apparently contradicts the accusations made by the hon. Member. The hon. Member, at the moment, is put in a very difficult position. My point is: is it necessary to present a report of this nature, which has been submitted by the district authorities, at this stage? We are bound to go by what the hon. Member says in this matter. We cannot go by the report submitted by an official of the State Government. In a case where the State Government officials are involved, we cannot accept any report from any State Government authorities. That report cannot be objective. If I were in his position and the hon. Minister came with a report from a State Government official, then I would have considered it an in-

sult to me. I would think that I have made some accusations and a petty official of the State Government has submitted a report which conflicts with the accusations I have made. Therefore, I do not think, any purpose is saved by submitting a report of a State Government official. We are bound to go by the accusations made by the hon. Member. This must be referred to the Committee of Privileges.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): Without discussing it any more, it is better you send the matter straight to the Privileges Committee. The police officer who has made the statement will have an opportunity to come before the Privileges Committee and give a statement there.

MR. SPEAKER: In the meetings we had twice, we had settled certain procedures. And we have followed the same procedure in this case. We forwarded this for investigation and report by the Government. If the Member is not satisfied, we can refer back on certain issues. But I have no objection to forwarding the relevant observations—his complaint and also his reply—for examination by the Privileges Committee.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): Sir, what do we do with this stone? This is the situation prevailing in West Bengal. In the name of foodgrains, this is what is being distributed in West Bengal in the ration shops. (Interruptions). You enquire about it, Sir. (Interruptions).

श्री हुकम चन्द कछबाय (मुरैना) :
यह कांग्रेस सरकार की देन है । ऐसा
अनाज वहा खाने को दिया जा रहा है ..

अध्यक्ष महोदय :
है ? कछ तो रहस्य करना चाहिये । तीन